उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1
संख्या- 16/2015/697 /62-1-2015-97जीडब्लू/2010
लखनऊ / दिनांक 08 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या–323/62-1-2015-97जीडब्लू/2010, दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत क्षेत्रीय विकास अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या–984/62-7-95-566/88टीसी, दिनांक 09 जून, 1995 में दी गयी व्यवस्थानुसार रू0 3700-5000 का वैयक्तिक वेतनमान श्री विद्याधर राय, सीनियर जियोफिजिसिस्ट (सेवानिवृत्त) को दिनांक 05-04-1991 से नोशनल तथा शासन द्वारा निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची के शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 2002 से वास्तविक रूप से अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

;

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव।

संख्या- 16/2015/697 (1) 62-1-2015,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
4- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
6- संबंधित कोषाधिकारी।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in